तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (छुट्‌टी यात्रा रियायत) विनियम, 1979

(भारत के राजपत्र में दिनांक 16.03.1979 को प्रकाशित)

सा0का0नि0 232 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 **लघु शीर्ष एवं आरंभ :** (1) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्‌टी यात्रा रियायत) विनियम, 1979 कहे जाएं।

(2) **परिभाषा :** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :–

(ए) ''लेखा अधिकारी '' का तात्पर्य है, बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ;

(बी) ''बोर्ड'', ''अध्यक्ष'', ''उपाध्यक्ष'' एवं ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में अर्थ क्रमशः उनको समुनदेशित होगा ;

(सी) ''रियायत'' का तात्पर्य है, इन विनियमों के तहत लागू छुट्‌टी यात्रा रियायत ;

(डी) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य है, बोर्ड का कर्मचारी ;

(ई) ''फस्ट, सेकण्ड, थर्ड एवं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी'' का तात्पर्य, केन्द्र सरकार के मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों में अर्थ क्रमशः उनको समुनदेशित होगा ;

(एफ) ''परिवार'' का तात्पर्य, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ताओं के उद्‌देश्य केलिए अनुपूरक नियम 2 (8) में उनको समुनदेशित होगा ;

(जी) ''होम टाऊन'' का तात्पर्य है, संबंधित कर्मचारी की सेवा पंजी या अन्य उपयुक्त कार्यालयी रिकार्ड में प्रविष्टित स्थायी होम टाऊन या गांव , या उनके द्वारा विधिवत् रूप से कारणों द्वारा संदर्भित करते हुए घोषित ऐसे अन्य स्थल, जैसे कि अस्थायी संपत्ति का स्वामित्व, अन्य रिश्तेदारों..... इत्यादि के पास का स्थायी निवास उस जगह पर जहाँ वे सामान्य रूप से रहते होगें लेकिन बोर्ड की सेवा के लिए इस तरह के एक स्टेशन से उनकी अनुपस्थिति होगी ;

(एच) ''दो केलण्डर वर्ष की अवधि में एक बार'' का तात्पर्य है, वर्ष 1978 से शुरू होने वाले दो केलण्डर वर्षों के हरेक ब्लॉक में एक बार। इस प्रकार से, दो लगातार केलण्डर वर्ष 1978

एवं 1979 के ब्लॉक के दौरान, पहले अवसर की रियायत स्वीकार्य होगी। बाद के अवसरों पर रियायत, ब्लॉक्स 1980 एवं 1981, 1982 एवं 1983 और इत्यादि के दौरान स्वीकार्य होगी और इसका स्पष्टीकरण उप विनियम (जे) में भी देख सकते हैं ;

स्पष्टीकरण : वे कर्मचारी, जो इन विनियमों की आरंभ से पूर्व भारत सरकार के नियमों के तहत छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी, उप विनियम (आई) व (जे) के तरह छुट्टी यात्रा रियायत के नियमन के उद्देश्य से, दो एवं चार, जैसी स्थिति हो, के अनुसार के ब्लॉक वर्षों को चालू रखा जाए।

(के) इस योजना के तहत शब्द ''सबसे छोटा मार्ग'' का तात्पर्य वही होगा जो ड्यूटी पर यात्रा करने केलिए मान्य है ;

(एल) ''आवास के हकदार वर्ग'' का तात्पर्य है, यात्रा करते समय, यात्रा भत्ता नियमों के तहत एक सरकारी नौकर को हकदार आवास वर्ग ;

3 **आवेदन का विस्तार :** (1) रियायतें, बोर्ड के सभी ग्रेडों के कर्मचारियों को स्वीकार्य होगीं, जिसमें निम्न शामिल हैं –

(ए) औद्योगिक एवं कार्य–प्रभारित कर्मचारी, जो नियमित छुट्टी के हकदार हैं ;

(बी) कॉण्ट्राक्ट आधार पर नियोजित अधिकारी, अगर कॉण्ट्राक्ट की अवधि एक साल से ज्यादा केलिए होती है और एक वर्ष की लगातार सेवा पूरा हो जाने के उपरान्त अधिकारी का पुनः नियोजित किया जाता है ;

2 हडताल... इत्यादि में भाग लेने के कारण की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सर्विस में ब्रेक होने के रूप में माना जाएगा, जबतक कि लगातार सर्विस की न्यूनतम अवधि का गणन करने के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे माफ़ नहीं किया जाता (सा0का0नि – 232 (असा0), दिः 16.03.1979)

3 इन व्यक्तियों को रियायतें स्वीकार्य नहीं होगीं, जो :

(i) बोर्ड के पर्ण कालिक रोज़गार में नहीं हैं ; या

(ii) आकस्मिकताओं से भुगतान होता है ;

(iii) किसी अन्य स्वरूप की छुट्टी यात्रा रियायत केलिए योग्य हैं (सा0का0नि – 232 (असा0), दिः 16.03.1979)

स्पष्टीकरण : यात्रा की तारीख को, एक वर्ष की लगातार सेवा होने की शर्त रियायत के लिए स्वीकार्य है और स्थायी एवं परिवीक्षार्थी अतएव अस्थायी तथा स्थानापन्न कर्मचाकरी को भी एकसमान लागू होगी।

4 कॉण्ट्राक्ट आधार पर नियोजित अधिकारी : अधिकारी जो कॉण्ट्राक्ट आधार पर नियुक्त हुए हैं, वे एक वर्ष की लगातार सेवा पूरा करने के बाद रियायत के लिए योग्य होगें अगर कॉण्ट्राक्ट की अवधि एक या ज्यादा वर्ष के लिए होती है। जहाँ प्रारंभिक कॉण्ट्राक्ट एक वर्ष केलिए है लेकिन बाद में बढाया जाता है, तो कॉण्ट्राक्ट की कुल अवधि को, इस उद्देश्य केलिए लेखे में लिया जाएगा। रियायत का अनुदान विनियम 5 में बताए गए शर्तों के बशर्ते होगीं ।

5 पुनःनियोजित अधिकारी : (1) पुनःनियोजित अधिकारी, एक वर्ष की लगातार सेवा पूरा करने के बाद रियायत केलिए योग्य होगें और बशर्तें कि निम्न दिए गए शर्तों पर :

(ए) ऐसे कर्मचारियों के मामले में, दो केलण्डर वर्ष के क्रमिक ब्लॉकों को, बोर्ड के अधीन उनके द्वारा पदों का पदभार संभालने की वास्तविक तारीखों से गणना की जाएगी।

(बी) उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी को संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके लिए जाने वाली छुट्टी यात्रा रियायत के समय पर, प्रमाणित करना होगा कि वे बोर्ड के अधीन पद का भार ग्रहण करने की तारीख से, दो वर्ष की अवधि केलिए बोर्ड के अधीन सेवा जारी रखेगें। बाद के दो वर्षों की अवधि के दौरान, रियायत की स्वीकार्यता, उसी समरूप शर्तों पर ही होगी।

(2) सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ही पुनःनियुक्ति होने के मामले में, पुर्नियुक्ति सेवा की अवधि को छुट्टी यात्रा रियायत के उद्देश्य केलिए पिछली सेवा के साथ लगतार होने के रूप में माना जाए और पुर्नियोजित अवधि केलिए रियायत लागू होगी।

बशर्ते कि यात्रा रियायत, पुर्नियोजित अधिकारी को स्वीकार्य होना चाहिए जैसे कि वे सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं और सेवारत अधिकारी के रूप में कायम रहे थे।

6 प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी : जब कभी भी एक अधिकारी को, भारत में या विदेश में प्रशिक्षण केलिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो, निम्नानुसार रियायतें स्वीकार्य होगीं :

(1) **भारत में प्रशिक्षण :**

(i) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अगर मुख्यालय बदलता है तो स्वयं एवं परिवार केलिए रियायत, प्रशिक्षण के स्टेशन और होम टाऊन के बीच की होगी।

(ii) अगर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, मुख्यालय नहीं बदलता है तो स्वयं केलिए रियायत प्रशिक्षण के स्टेशन से होम टाऊन तक और वापस उसी स्टेशन या मुख्यालय तक होगी, जहाँ तक वास्तविक रूप में यात्रा की गई है। परिवार केलिए, रियायत, सिर्फ मुख्यालय और होम टाऊन तक के बीच केलिए ही होगी।

(2) **विदेश में प्रशिक्षण :**

(i) स्वयं केलिए, सरकार का दायित्व उनको स्वीकार्य तक ही सीमित होगा, अगर वे मुख्यालय (विदेश में प्रशिक्षण केलिए उनके द्वारा शुरू की गई यात्रा से) या एसआर 59 के तहत

(ii) परिवार के सदस्य केलिए, रियायत के उद्देश्य से, मुख्यालय से सीधे उनके द्वारा प्रशिक्षण केलिए शुरू की गई यात्रा स्थल, को आगे की यात्रा केलिए स्टार्टिंग पाइण्ट के रूप में माना जाएगा।

7 दो वर्ष एवं चार वर्ष के ब्लॉक केलिए रियायत :

बोर्ड के कर्मचारी को यात्रा रियायत, जो अपने होम टाउन से दूर सर्विस कर रहें हैं को, नीचे दिए गए अनुसार लागू होगा :

(i) 1978 से शुरू होने वाले दो केलण्डर वर्ष के ब्लॉक में एक बार, हरेक कर्मचारी एवं उसके परिवार को रियायत प्राप्त करने का अधिकार होगा। बोर्ड वास्तविक फेयर को चुकाएगा। हरेक यात्रा के मामले में, होम टाउन तक और वापस की यात्रा होनी चाहिए और आगे एवं वापस की यात्रा केलिए दावा किया जाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि यात्रा की शुरूआत कर्मचारी या उसके परिवार के मामले में, जैसी स्थिति हो, के मुख्यालय से या तक होनी चाहिए । लेकिन स्वीकार्य सहायता, वास्तविक रूप से की गई यात्रा की दूरी तक की सीमित रकम के लिए ही स्वीकृत होगी, जा कि कर्मचारी द्वारा मुख्यालय से और उसके होम या घोषित गन्तव्य तक और वापस की यात्रा ही स्वीकार्य होगा ।

टिप्पणी : (i) जहाँ एक कर्मचारी और उसका परिवार, किसी कारण वश ड्यूटी के स्थान से दूर रहते हैं, तो निवास कर रहे जगह से उसके होम टाउन तक और वापस के विसिट के लिए रियायत की अनुमति दी जाए बशर्ते कि दावा ड्यूटी के स्टेशन और होम टाउन या दर्शन केलिए घोषित स्थान, जैसी स्थिति हो, के बीच सबसे सीधे लघु मार्ग के रेल किराया तक सीमित होगा। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को उसके ड्यूटी के स्थान से किसी दूसरे स्थान पर निवास करने के कारणों को प्रस्तुत करना होगा और नियंत्रण अधिकारी को यह संतुष्टि करनी होगी कि निवास के स्थान के संदर्भ में किए गए दावे के कारण वास्तविक हैं।

टिप्पणी : (i) अगर कोई कर्मचारी निलंबन के अधीन है, और छुट्टी यात्रा रियायत नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि निलंबन की अवधि के दौरान, उसे किसी प्रकार की छुट्टी जैसे कि आकस्मिक छुट्टी को शामिल करते हुए, प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि निलंबन की अवधि के दौरान, वह सर्विस में कायम होने के कारण से, उसके परिवार के सदस्यों छुट्टी यात्रा रियायत पाने का अधिकार है। (सा0का0नि0 232 (असा0) दिनांकित : 16.03.1979)

(ii) कर्मचारी, जिसका परिवार उसके कार्य स्थल से दूर रहता है तो वह स्वयं केलिए हरेक वर्ष उसके होम टाउन जाने हेतु रियायत ले सकता है सिवाय दो वर्ष के ब्लॉक में, वर्ष में एक बार अपने और उसके परिवार केलिए रियायत लेने के बजाय।

टिप्पणी : (i) ऐसे मामलो में, वह और उसका परिवार भारत में किसी और अन्य जगह के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पाने का अधिकार खो देगा।

(ii) अविवाहित कर्मचारी, जिसने अपने पूर्ण रूप से आधारित माता–पिता, बहनों एवं छोटे भाईयों को अपने होम टाउन में छोड रखा है, को हरेक वर्ष केलिए होम टाउन तक छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ दिया जा सकता है। यह रियायत, स्वयं कर्मचारी और उपरोक्त माता–पिता, बहनें एवं छोटे भाईयों को स्वीकार्य सभी अन्य छुट्टी यात्रा रियायत के बदले में होगा।

(iii) दो वर्ष के विशिष्ट ब्लॉक केलिए स्वीकार्य रियायत, जिसे ब्लॉक के दौरान नहीं लिया गया तो कर्मचारी और उसके परिवार द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में, अगले बलॉक के पहले वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है। इस शिथिलन के अनुसार, एक ही केलण्डर वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा दो बार शिथिलन प्राप्त किए जाने की संभावना हो सकती है। अतः कर्मचारी, ब्लॉक वर्ष 1978–79 और वर्ष 1980–81 के मामले में, वर्ष 1980 में दो बार रियायत प्राप्त कर सकता है ।

(iv) 1978 से शुरू होने वाले चार केलण्डर वर्षों के ब्लॉक में एक बार, हरेक कर्मचारी और उसके परिवार को चार केलण्डर वर्षों के ब्लॉक में होम टाउन के दो रियायतों के बदले, होम टाउन को शामिल करते हुए, भारत में किसी एक जगह यात्रा करने केलिए रियायत प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि अद्यतन योजना में बताए गए अन्य सभी शर्तों पर। ''1978 से शुरू होने वाले चार वर्ष ब्लॉक , अर्थात् 1978–81 , 1982–85 और ऐसे ही आगे। भारत में किसी अन्य स्थान को यात्रा करने केलिए

रियायत को अगर चार वर्षों के ब्लॉक के दौरान प्रयोग नहीं किया जाता है तो चार वर्ष के अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में उसे आगे बढाया जा सकता है। फिरभी, एक कर्मचारी अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में, भारत में किसी भी जगह को यात्रा करने केलिए रियायत तभी आगे बढा सकता है अगर वह उस वर्ष केलिए होम टाउन के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को आगे बढाने केलिए हकदार होता है।

उदाहरण : I 1990–93 के ब्लॉक वर्ष के दौरान, एक कर्मचारी दो रियायतों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात् एक 1990–91 ब्लॉक केलिए और दूसरा 1992–93 ब्लॉक केलिए। ऊपर के दो रियायतों में से वह ऐसे प्राप्त कर सकता है :–

(i) दोनो होम टाउन केलिए , या

(ii) पहले ब्लॉक में भारत में कहीं भी और दूसरे ब्लॉक में होम टाउन, या

(iii) पहले ब्लॉक में होम टाउन और दूसरे ब्लॉक में भारत में कहीं भी।

भारत में कहीं भी यात्रा करने केलिए रियायत को 1994 को आगे बढाया जा सकता है, सिर्फ ऐसे मामले में :–

(i) अगर उसने ब्लॉक 1990–91 केलिए रियायत प्राप्त नहीं किया हो ; और

(ii) अगर उसने ब्लॉक 1992–93 केलिए होम टाउन केलिए रियायत प्राप्त नहीं किया हो ।

अगर कर्मचारी, ब्लॉक 1990–91 केलिए देय रियायत को प्राप्त करने में चूक जाता है (अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले) तो वह उस रियायत को खो देता है और 1994 को आगे लेकर नहीं ले जा सकता ।

इसे और भी उदाहरणदर्शक बनाने हेतु निम्नलिखित उदारण भी दिया गया है ।

उदाहरण : II 1990–91 और 1992–93 के ब्लॉको के दौरान उपरोक्त कर्मचारी दो रियायतों केलिए अधिकार रखता है :

(i) 1990–91 के मामले में, वह अनुग्रह अवधि, अर्थात् 31.12.1994 तक से पहले होम टाउन रियायत प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वह अनुग्रह अवधि अर्थात् 31.12.1994 से पहले प्राप्त किए जाने वाले भारत में कहीं भी यात्रा करने हेतु उसकी छुट्टी यात्रा रियायत को आगे बढाने केलिए हकदार होगा।

(ii) उपरोक्त मामले में, अगर कर्मचारी 31.12.1992 के बाद होम टाउन तक छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करता है ; तो इसे ब्लॉक 1992–92 के विरूद्ध नामे किया जाएगा और अतः वह भारत एलटीसी में कहीं और जाने केलिए हकदार नहीं होगा , अगर वह अनुग्रह अवधि से पूर्व इसे रियायत को प्राप्त नहीं करते हुए 1990–91 केलिए अपना अधिकारी खो देगा।

(iii) आगामी केलण्डर वर्ष में वापसी यात्रा करने में चूक होने पर, दिए गए रियायत को , उस वर्ष के विरूद्ध गणन की जाएगी जिसमें आगे की यात्रा शुरू की गई थी।

8 परिवार को लागू रियायत :

(1) परिवार के सदस्यों को, उसी केलण्डर वर्ष में, जिसमें कर्मचारी यात्रा करता है, में कर्मचारी के साथ जाने या यात्रा करने की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्य स्वतंत्र रूप से रियायत प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उसे कर्मचारी प्राप्त करता हो या नहीं। जहाँ वे यात्रा विभिन्न दलों में विभिन्न समयों पर करते हैं तो हरेक दल के मामले में व्यय की भरपाई की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि चालू ब्लॉक वर्ष के दौरान में विभिन्न दलों में से अगर एक अपनी यात्रा को आगे बढाता है तो उसे रियायत प्रदान करने की अनुमति होगी इस बात से परे कि अगर एक दल ने उसी ब्लॉक अवधि के दौरन ही प्राप्त कर ली है और दूसरा दल उस रियायत को प्राप्त नहीं कर सका।

(2) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को रियायत स्वीकार्य है इस तथ्य के सदर्भ में कि वर्तमान में दोनो आगे और वापसी की यात्रा स्वतंत्र रूप से की गई है। निम्नलिखित प्रकार के मामलों को उदाहरण के तौर पर दिया गया है, अर्थात् :–

I सिर्फ आगे की यात्रा के मामले में भरपाई का हक :

(i) होम टाउन जाने के बाद या शिक्षा के लिए शेष पढाई पूरा करने में, आश्रित बेटा/बेटी को नौकरी मिलती है या शादी होती है ;

(ii) परिवार ने होम टाउन के लिए आगे की यात्रा तो कर ली लेकिन होम टाउन से वापसी की यात्रा पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। बशर्ते कि कर्मचारी लिखित रूप में यह देता है कि बाद की तारीख में अगर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वापसी की यात्रा की जाती है तो रियायत को त्याग देगा।

II सिर्फ वापसी की यात्रा के मामले में भरपाई का हक :

(i) नवविवाहित पति/पत्नी होम टाउन से मुख्यालय स्टेशन आ रहे हैं या पति/पत्नी जो लंबे समय से होम टाउन में रह रहे हैं और आगे की यात्रा के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त नहीं किया है ;

(ii) आश्रित बेटा/बेटी माता–पिता के साथ वापस लौट रहें हैं या होम टाउन से अकेले आ रहे हैं, जहाँ वे अपने दादा–दादी .... आदि के साथ रह कर शिक्षा पूरा कर रहें हैं ।

(iii) बच्चा जो पहले तीन/बारह साल की आयु से छोटा है लेकिन वापसी यात्रा करते समय तीन/बारह साल की आयु पूरी हो जाती है ;

(iv) बच्चा जिसे कर्मचारी द्वारा, होम टाउन में रहते समय, कानूनी रूप से गोद लिया गया हो।

टिप्पणी : बच्चा, जो आगे की यात्रा करते समय 12 साल की उम्र से कम था, लेकिन वापसी यात्रा के समय पर 12 साल पूरा कर लिया हो, तो दोनो अर्थात् आगे की यात्रा केलिए आधा यात्री–भाडा और वापसी की यात्रा केलिए पूर्ण यात्री–भाडा केलिए हकदार होगा।

(3) पति/पत्नी, जो दोनो ही कर्मचारी होने के मामले में, दोनो में से एक, कर्मचारी के परिवार का सदस्य होने के नाते यात्रा रियायत प्राप्त कर सकता है।''शर्त तभी लगती है जब पति या पत्नी कर्मचारी के साथ रहते हैं। अगर किसी कारणवश, वे अलग अलग निवास करते हैं, तो वे दोनो अपने अपने हकों के अनुसार दो अलग कर्मचारी के रूप में स्वंतत्र रियायत का दावा कर सकते हैं''(सा0का0नि 232 (असा0), दिनांकित :16.03.1979)।

(4) जहाँ कर्मचारी और उसका परिवार अलग अलग से यात्रा करते हैं, तो उसके द्वारा अलग अलग दावा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(5) ''एलटीसी सुविधा, विकलांग कर्मचारी के साथ में एस्कॉर्ट के रूप में जाने वाले व्यक्ति केलिए लागू हो सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों पर :–

(iv) हरेक अवसर पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी है ।

(ii) कर्मचारी का भौतिक अपंगता की प्रकृति ऐसी है कि यात्रा के लिए एस्कॉर्ट की जरूरी पडती है। शंका होने की हालात में, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) शारीरिक विलांग कर्मचारी को एक अडल्ट परिवार के सदस्य की जरूरत नहीं है।

(iv) कर्मचारी और एक एसकॉर्ट रियायत प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई, ऐसे मामलों में, जहाँ रेल /बस यात्री–भाडा को रेल्वे/ राज्य सडक परिवहन प्राधिकारियों द्वारा, बढाया जाता है।

(v) कोई अन्य व्यक्ति जो एलटीसी के लिए हकदार है, लेकिन विकंलाग कर्मचारी के साथ यात्रा नहीं करता।

व्याख्यात्मक ज्ञापन : विनियम नं0 8 का संशोधन, पत्तन के किसी भी कर्मचारी के हितों पर प्रभाव नहीं करेगा।

9 होम टाउन :

(1) निर्धारण करने हेतु सही परीक्षा यह है कि क्या कर्मचारी द्वारा घोषित किए गए जगह को उसके होम टाउन के रूप में स्वीकार किया जाए या ना कि यह देखने कि क्या यह वही जगह है जहाँ कर्मचारी आमतौर रहत होगा लेकिन बोर्ड की सर्विस केलिए ऐसे स्टेशन पर होने के कारण वहाँ अनुपस्थित है। नीचे बताए गए उपबंध, अतः यह निर्धारण करने हेतु लागू किया जाए कि क्या घोषणा को स्वीकार किया जाए :

(ए) क्या कर्मचारी द्वारा घोषित किया गया स्थान वही है जहाँ उसे विभिन्न घरेलू एवं सामाजिक दात्यिवों का निर्वहन करने केलिए अंतरालों में उसकी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है और अगर ऐसा है तो क्या सर्विस में प्रवेश करने के बाद, कर्मचारी उस जगह बार बार दर्शन करने जाया करता था।

(बी) क्या कर्मचारी का उस जगह पर खुद का आवासीय संपत्ति है या क्या ऐसे संपत्ति रखने वाले संयुक्त परिवार का वह सदस्य है ;

(सी) क्या उसके करीबी रिश्तेदार उस जगह पर स्थायी रूप से निवास करते हैं ;

(डी) क्या बोर्ड की सर्विस में उसके प्रवेश से पूर्व, कर्मचारी कुछ वर्षों के लिए वहाँ रह रहा था।

टिप्पणी 1: मानदण्डों को एक के बाद एक एक करके, को उन मामलों में ही सिर्फ लागू किए जाने की जरूरत है, जहाँ तुरंत पूर्ववर्ती मानदण्ड संतुष्ट नहीं है।

टिप्पणी 2: जहाँ कर्मचारी द्वारा एक स्थान से ज्यादा जगहों पर संपत्ति का स्वामित्व रखता है, तो वह किसी को भी/एक स्थान को चुन सकता है और इसे चुनने के कारणों को बताना होगा लेकिन नियंत्रण अधिकारी का निर्णय कि क्या ऐसे स्थान को कर्मचारी के होम टाउन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, अंतिम होगा।

टिप्पणी 3: जहाँ किसी विशिष्ट जगह पर आस पास के रिश्तों की उपस्थिति का निर्धारण किए जाने के मानदण्ड को होम टाउन केलिए स्वीकार किया जाता है तो, आस पास के रिश्तों की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए।

(2) जहाँ पति एवं पत्नी, दोनो ही कर्मचारी हैं, तो उन्हें एकल परिवार इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें होम टाउन के रूप में सिर्फ एक ही स्थान की घोषणा करना होगी, जो उन दोनो केलिए एक ही जगह है। घोषणा करते समय, यह उनको स्पष्ट होना चाहिए कि उनके अपने पति के माता–पिता का होम टाउन हो या पत्नी के माता–पिता का होम टाउन हो या संपूर्णतः कोई अलग जगह उन दोनो केलिए होम टाउन हो, जैसा कि उनकी परंपराओं एवं व्यक्तिगत जरूरतों के साथ उपयुक्त लगता है। लेकिन एक बार होम टाउन के रूप में घोषणा करने के बाद, उस जगह को, सभी समयों केलिए उनका संयुक्त होम टाउन के रूप में समझा जाएगा।

(3) (i) प्राधिकारी, जिसे कर्मचारी के मामले में, उनकी यात्रा भत्ता दावों के देखने केलिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है, को हरेक मामला प्रस्तुत किया जाना है। व्यक्ति जो भविष्य में बोर्ड की सेवा में प्रवेश होते हैं को सर्विस में प्रवेश होने की तारीख से छह महीने के अवधि समाप्त होने से पूर्व ऐसी घोषणा करना है। घोषणा केलिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

(ii) अधिकारी जो यात्रा भत्ता के उद्देश्य केलिए, अपने लिए भी नियंत्रण अधिकारी होता है तो उसे अपने से अगले वरिष्ठ प्रशासनिक प्राधिकारी को स्वीकृति केलिए अपने होम टाउन या कोई अन्य की घोषणा करनी होगी।

(iii) घोषणा की स्वीकृति इस शर्त पर होगी कि नियंत्रण प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्ट होना होगा कि यह सही है और उसके बाद आवश्यकता पडने पर किसी भी प्रकार के सबूतों केलिए दावा कर सकते हैं।

(iv) घोषणा को सर्विस पुस्तिका में रखा जाए।

(v) यह जरूरी है कि कर्मचारी द्वारा घोषित किये गए होम टाउन पर एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। आरंभ तौर पर, कर्मचारी द्वारा की गई घोषणा को स्वीकार किया जाए और जब वह उसे बदलने की मांग करता है तब विस्तृत जांच की जाए।

(vi) होम टाउन के रूप में की गई घोषणा को सामान्यतः अंतिम के रूप में लिया जाना है। विशिष्ट परिस्थितियों में, विभागाध्यक्ष या अगर कोई कर्मचारी जो खुद विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी घोषणा में बदलाव लाने को प्राधिकृत कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार के बदलाव, कर्मचारी के सेवा काल के दौरान एक बार से ज्यादा नहीं किया जाना है।

(4) अगर किसी कर्मचारी का होम टाउन भारत के बाहर है तो उसके होम टाउन केलिए पास के भारतीय रेल्वे स्टेशन या पत्तन तक का यात्रा रियायत स्वीकार्य होगा।

10 दावा की गणना :

(I) प्रारंभिक के 400 कि0मी0 केलिए यात्रा–भाडा (श्रेणी कर्मचारियों के मामलो में) यात्रा का 160 कि0मी0, जो कि कर्मचारी के लिए देयधन , रेल्वे यात्रा–भाडा तालिका में दिखाए गए यात्रा–भाडा होगा। (अर्थात् रेल्वे का यात्रा–भाडा जिसे बदला जाना चाहिए, अगर यात्रा 400 / 160 कि0मी0 केलिए ही होती है), और यात्रा किए गए कुल दूरी केलिए यात्रा–भाडा के समानुपात के रूप में गणित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात् दूरबीन दराधार पर नहीं)

(1) कर्मचारी या उसका परिवार होम टाउन से या तक किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं या यात्रा के दौरान ठहर सकते हैं लेकिन बोर्ड की सहायता, थ्रू टिकट आधार पर सबसे छोटे मार्ग द्वारा के यात्रा–भाडा तक अपने शेयर को सीमित रखेगी।

(2) जहाँ सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा को किए जाने कि जरूरत है, लेकिन दुर्घटनाओ या अन्य कारणों से रूकावट बनती है तो नियंत्रण अधिकारी, यात्रा किए गए वास्तविक मार्ग केलिए यात्रा–भाडा की भरपाई कर सकते हैं।

(3) हरेक मामले में यात्रा घर से शुरू होकर और वापस तक की होनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी द्वारा अपने खुद के लिए या परिवार के मामले में यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय से या तक होनी चाहिए। लेकिन स्वीकार्य सहायता यात्रा की वास्तविक दूरी केलिए स्वीकार्य रकम होनी चाहिए जो कि इस रकम पर सीमित होगी जो कि स्वीकार्य होगी और यात्रा मुख्यालय और कर्मचारी के होम टाउन के बीच किया गया है।

(i) जब कभी यात्रा को लंबे मार्ग से किया जाता है जो कि आरंभिक दूरी से परे दो विभिन्न श्रेणियों में सबसे सस्ती नहीं है,

(ii) (ए) ''अगर यात्रा या उसका एक भाग सडक द्वारा किया जाता है तो बोर्ड की सहायता, प्राधिकृत श्रेणी द्वारा रेल्वे यात्रा–भाडा या वास्तविक खर्चों के आधार पर, जो कोई कम होता है, होगी।

टिप्पणी : सडक द्वारा की गई यात्रा तभी स्वीकार्य होगा जब यात्रा, सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम एवं अन्य सरकारी या परिवहन प्राधिकारियों के अनुमोदन के साथ नियत यात्रा–भाडा दरों पर नियमित कालावधि में पाइण्ट से पाइण्ट तक नियमित परिवहन सर्विस के रूप में संचालित करने वाले स्थानीय निकायों द्वारा संचालित वाहनों में करते हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ नियत यात्रा–भाडा दरों पर नियमित कालावधि

में पाइण्ट से पाइण्ट तक नियमित सर्विस के रूप में संचालन हो रहे निजी बसों द्वारा यात्रा किया जाना भी स्वीकार्य होगा। निजी कार (स्वामित्व, किराए, भाडा) द्वारा याया निजी संचालको द्वारा चार्टर पर संचालित या स्वामित्व अन्य वाहनों बस या वेन में यात्रा करने केलिए छुट्टी यात्रा रियायत स्वीकार्य नहीं होगा। एक कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य खुद के लिए यात्रा कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया आइटीडीसी, राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने खुद के बसों या बाहर से बसों को भाडे पर लेते हुए संचालित या आयोजित करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना चाहिए कि आइटीडीसी/राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ऐसी यात्रा उनके द्वारा ही आयोजित करते हुए संचालित किया गया है और ना कि किसी अन्य निजी पार्टी व्यक्ति के द्वारा।

(बी) जहाँ एक कर्मचारी और /या उसका परिवार, रेल द्वारा संपर्क हुए दो पाइण्टों के बीच की यात्रा को सडक से निजी कार द्वारा करते हैं और कर्मचारी द्वारा ही खुद से प्रोपल्शन लागत की चुकौती की जाती है तो बोर्ड की सहायता उसी समतुल्य में दी जाएगी जो कि वैसे ही स्वीकार्य होगा जैसे कि वास्तविक रूप में हकदार की श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा का निष्पादित किया गया था। ऐसे मामलों में, अधिकारी द्वारा, जो अपने आप के लिए नियंत्रण अधिकारी हैं, कार से की गई यात्राओं के दौरान उपगत वास्तविक खर्चों की काई जांच नहीं की जानी है,और ऐसे में उनके द्वारा यह प्रमाण मात्र काफी है कि उन्होनें और या उनके परिवार के सदस्यों ने निजी कार द्वारा यात्रा की है, को स्वीकार किए जाने हेतु पर्याप्त है। अन्य मामलों में भुगतानी की अनुमति होनी चाहिए बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारी संतुष्ट होते हैं कि यात्रा सचमुच निजी कार से वास्तव में निष्पादित किया गया था।

(4) (i) (ए) जहाँ एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विद्यमान है, बोर्ड की सहायता, परिवहन प्रणाली की सुविधा के उपयुक्त वर्ग केलिए ऐसी प्रणाली द्वारा प्रभारित वास्तविक यात्रा–भाडा होगा।

टिप्पणी : उपयुक्त वर्ग का तात्पर्य निम्नानुसार है :–

(i) अधिकारी जो रेल में श्रेणी I द्वारा यात्रा करने केलिए हकदार हैं : किसी भी प्रकार का बस जिसमें सूपर डीलक्स एक्सप्रेस .... इत्यादि शामिल हैं लेकिन वातानुकूल डीलक्स बसों को छोडकर।

(ii) अन्य अधिकारी : साधारण/एक्सप्रेस बस द्वारा ।

(iii) भारत के क्षेत्र में जगहों के संबंध में, जो नौवहन सेवाओं से जुडी है, तो जहाज द्वारा यात्रा करने हेतु कर्मचारी के हक को, नियमन किया जाएगा जैसे कि स्थानांतरण में जहाज द्वारा यात्रा करने पर किया जाता है।''

(iv) जगहों के बीच की यात्रा, जो कि परिवहन के किसी भी माध्यम से जुडा नहीं है, तो कर्मचारी पशु परिवहन जैसे कि पोनी, हाथी, ऊँट.... इत्यादि का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में स्थानांतरण की यात्रा केलिए लागू दर के समान ही मील भत्ता स्वीकार्य होगा।

टिप्पणी : ऐसे मामलों में भी कर्मचारी, जो इस योजना के तहत भारत में किसी भी जगह को देखने केलिए सबसे छोटे मार्ग द्वारा हक के/प्रयोग किए गए निम्न श्रेणी के यात्रा–भाडा का भुगतानी प्राप्त करने के लिए हकदार है। अगर कोई कर्मचारी यात्रा करने हेतु सर्कुलर टूर टिकट खरीदते हुए यात्रा करता है तो उसके दावे को मुख्यालय और घोषित दर्शत स्थान/होम टाउन के बीच में हक के श्रेणी से सबसे छोटे मार्ग द्वारा की यात्रा, जिसके लिए वास्तविक रूप में टिकट खरीदा गया या हकदार श्रेणी, जो भी कम होगा, के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(6) छुट्टी यात्रा रियायत के तहत पोर्ट ब्लेर की यात्रा केलिए पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन तक की यात्रा को सामान्यतः नियमित किया जाए। पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन से पोर्ट ब्लेर तक कर्मचारी को हकदार श्रेणी द्वारा समुद्री यात्रा की लागत का हक मिलेगा, जो कि नीचे दिया गया है

फस्ट ग्रेड : उच्चतम श्रेणी

सेकण्ड ग्रेड : अगर दो श्रेणी होते हैं तो उच्चतम श्रेणी, अगर दो श्रेणी से ज्यादा होते हैं तो मध्यम या दूसरी श्रेणी ।

थर्ड ग्रेड : अगर सिर्फ दो श्रेणी होते हैं तो निम्न श्रेणी, अगर तीन श्रेणी होते हैं तो मध्यम या दूसरी श्रेणी और अगर चार श्रेणी होते हैं तो तीसरी श्रेणी।

फोर्थ ग्रेड : निम्नतम श्रेणी ।

(7) रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा रियायतों को, उदारण केलिए (सीजनल कन्सेशन, छात्रों का कन्सेशन, वापसी टिकट... आदि) छुट्टी यात्रा रियायत के साथ संयोजन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में दोनो छोर तक की आरंभिक दूरी केलिए यात्रा–भाडा को रेल्वे द्वारा प्रभारित रियायती यात्रा–भाडा के आधार पर आनुपातिक रूप से गणना की जाए और इस रकम को अदा किए गए वास्तविक कुल यात्रा–भाडा से कटौती की जानी है। कर्मचारी को भुगतानी करने की रकम इसका शेष होगा।

1 श्रेणी का हक : छुट्टी के दौरान यात्रा रियायत के उद्देश्य केलिए, ग्रेड का निर्णय यात्रा करने की तारीख को उसके स्तर द्वारा किया जाता है।

2 अगर वह उच्चतम श्रेणी में यात्रा करता है और वो उसके लिए हकदार है तो बोर्ड की सहायता उपयुक्त श्रेणी के यात्रा–भाडा तक सीमित होगी।

3 अगर वह निम्न श्रेणी में यात्रा करता है तो सहायता निम्नतम श्रेणी के यात्रा–भाडा केलिए किया गया वास्तविक अदायगी के आधार पर होगी।

4 कर्मचारी निम्न या उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकता है लेकिन बोर्ड की सहायता हकदार श्रेणी के हक / वास्तविक हद तक प्रयोग किए गए निम्न श्रेणी के यात्रा–भाडा तक सीमित होगा।

5 रियायत पति या पत्नी को स्वीकार्य मान पर परिवार को लागू होगा और दोनो के नहीं।

6 हक के विभिन्न श्रेणी के ग्रेड को हकदार छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन ट्रेन द्वारा यात्रा निम्नानुसार होगा :–

1 ग्रेड I व II – दूसरी श्रेणी वातानुकूल टू टायर / फस्ट क्लास

2 ग्रेड III – फस्ट क्लास / वातानुकूल चेयर कार

3 ग्रेड IV – सेकंड क्लास स्लीपर

टिप्पणी : हरेक ग्रेड केलिए अदा करने की मात्रा, समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

1 कर्मचारी द्वारा राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रतिलभ्य उस तक सीमित होगी कि अगर वो ऐसी यात्रा केलिए किसी अन्य ट्रेन द्वारा उसके हकदार श्रेणी से यात्रा करते हुए उसे जो प्रतिलभ्य होता ।

12 यात्रा पर स्थानांतरण सहित छुट्टी यात्रा रियायत का संयोजन : –

1 अगर कोई कर्मचारी, अपने पुराने मुख्यालय से होम टाउन और नए मुख्यालय केलिए यात्रा कर रहा है तो एसआर 124 या एसआर 126 के अधीन स्थानांतरण यात्रा भत्ता के न्यूनतम हकदार के लिए योग्य होगा, जैसे स्थिति हो और इसके अलावा इन विनियमों के तहत रियायतो को (X+Y) – (Z) 0 किलो मीटर तक बढाया जाएगा (जहाँ X पुराने मुख्यालय से होम टाउन तक, Y होम टाउन से नए मुख्यालय तक और Z वह दूरी है जिसके लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता स्वीकार्य है) । अगर दूरी जिसके लिए स्वीकार्य के रूप में की रियायत नगण्य है तो यह कर्मचारी पर निर्भर होगा कि क्या रियायत के लिए उसके हक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर रियायत का लाभ नहीं उठाता है बशर्ते कि हमेशा की तरह की स्थिति के लिए। ऐसे मामलों में अग्रिम, अगर कोई ली गई है तो उसे उसके स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल में समायोजित किया जाएगा।

2 (ए) यात्रा स्टेशन से होम टाउन और फिर वापस मुख्यालय :

कर्मचारी, (i) मुख्यालय से टूर स्टेशन तक की यात्रा केलिए यात्रा के अनुसार यात्रा भत्त और (ii) टूर स्टेशन से होम टाउन और वापस मुख्यालय तक की यात्रा केलिए छुट्टी यात्रा रियायत यह मानते हुए कि टूर स्टेशन आगे की यात्रा केलिए आरंभ पाइण्ट रहा – रियायत को मुख्यालय से होम टाउन और वापस तक यात्रा केलिए सीमित है, योग्य है।

(बी) कर्मचारी , मुख्यालय से होम टाउन तक केलिए छुट्टी यात्रा रियायत और होम टाउन से टूर स्टेशन और वापस मुख्यालय तके केलिए यात्रा भत्ता केलिए योग्य है।

13 '' दावा का समपहरण : जहाँ कर्मचारी द्वारा कोई अग्रिम की निकासी नहीं की जाती तो छुट्टी यात्रा रियायत के भुगतानी केलिए दावा करने के कर्मचारी का अधिकार समपहरण हो जाएगा या त्याग दिए जाने के रूप में माना जाएगाए अगर दावा, वापसी यात्रा पूरा करने की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं प्रस्तुत किया जाता।

अगर अग्रिम की निकासी होती है तो वापसी की यात्रा पूरा करने के एक महीने के अंदर अंतिम बिलों को जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी को एकमुश्त रकम के रूप में सारी अग्रिम राशी को प्रतिदाय करना होगा। अग्रिम को किश्तों में वसूली किए जाने हेतु कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ''। धन प्रेषण की तारीख तक अग्रिम की निकासी की तारीख से बकाया अग्रिमों केलिए या तो संपूर्ण रूप में या उसके एक भाग केलिए 10 प्रतिशत का साधारण ब्याज लगाया जाएगा।

14 अग्रिमों का ग्राण्ट :– (1) कर्मचारियों को अग्रिम इस लिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए रियायत प्राप्त कर सकें। ऐसी अग्रिम की रकम, हरेक मामले में, अनुमानित लागत का 90 प्रतिशत तक सीमित होगा जिसे बोर्ड को, दोनो तरफ की यात्रा की लागत के मामले में प्रतिलभ्य करना होगा।

(2) अगर परिवार कर्मचारी से अलग होकर यात्रा करती है तो अग्रिम को उनको स्वीकार्य तक अलग से निकासी भी किया जा सकता है।

(3) आगे की यात्रा करने के आरंभ के समय पर आगे एवं वापसी के दोनो यात्राओं केलिए अग्रिम की निकासी की जा सकती है। बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि या परिवार के

सदस्यों की संभावित अनुपस्थिति की अवधि तीन महीनें या 90 दिनों से ज्यादा नहीं होता। अगर यह सीमा पार किया जाता है तो सिर्फ आगे की यात्रा केलिए अग्रिम की निकासी दी जा सकती है।

(4) अगर दोनो तरफ की यात्रा केलिए अग्रिम की निकासी पहले से ही कर लेने के बाद 3 महीने या 90 दिनों की सीमा पार हो जाती है तो बोर्ड को तुरंत ही अग्रिम की आधी रकम को प्रतिलभ्य किया जाना है।

(5) अस्थायी कर्मचारियों को अग्रिम मंजूर की जाएगी बशर्ते कि स्थायी कर्मचारी से शूर्टी प्रस्तुत की जाती है।

(6) मुख्यालय द्वारा अग्रिम मंजूर की जा सकती है। अधिकारी, जो अपने लिए खुद नियंत्रण अधिकारी हैं, वें अपने लिए भी ऐसी अग्रिम की मंजूरी दे सकते हैं।

(7) वापसी यात्रा पूरा किए जाने के बाद, इस योजना के तहत निकासी की गई अग्रिम का लेखा को वैसे ही प्रदर्शित होगा जैसे कि यात्रा पर यात्रा भत्ता केलिए अग्रिम केलिए किया जाता है।

(8) अग्रिम को पूर्ण रूप से प्रतिलभ्य किया जाए कि अगर आगे की यात्रा अग्रिम प्रदान किए जाने के 30 दिन के अंदर शुरू नहीं की जाती। रेल द्वारा यात्रा करने के मामले में, आगे की यात्रा करने की प्रस्तावित तारीख से 60 दिन पहले निकासी किया जा सकता हैं । सभी मामलों में, कर्मचारी को रेल्वे या बस टिकटें/नकद रिसिप्टों को, अग्रिम की निकासी करने के दस दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए।

(9) यात्रा भत्ता को अग्रिम में समायोजन करने के दावा को, वापसी यात्रा पूरा करने के एक महीने के अंदर तैयार किया जाना हैं।

(10) भिन्न भिन्न बैंचों केलिए अलग अग्रिमों को, अलग अलग दावा के रूप में लेते हुए, समायोजित किया जाए। फिर भी एक समेकित अग्रिम को एकल बिल में समायोजित किया जाना है।

(11) प्रतिनियुक्ति पर के अधिकारी के मामले में, जो एलटीसी प्राप्त करते हैं, तुरंत विपत्ति होने के तुरंत ही लेकिन उसके पेरण्ट कार्यालय में कार्यभार संभालने से पूर्व, ऋणदाता विभाग, परिदाय विभाग से सलाहमशवरा करने के उपरान्त अग्रिम प्रदान कर सकता है और आदेश की एक प्रति को परिदाय विभाग को प्रेषण कर सकता है ताकि उन्हें अग्रिम का समयोजन देखने में सुलभता होगी।

15 एलटीसी का कपट दावा :

(i) अगर अग्रिम की मंजूरी में बताए गए शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है या अगर छुट्टी यात्रा रियायत केलिए प्रदान अग्रिमों केलिए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विभागाध्यक्ष के पास, ब्याज दर से ऊपर 2–1/2 प्रतिशत दर पर दाण्डिक ब्याज प्रभारित करने का पूरा अधिकार है।

(ii) जब कभी भी छुट्टी यात्रा रियायत का कपट दावा करने का मामला सामने आता है और सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुँते हैं कि इस दुराचरण केलिए कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने केलिए प्रथमदृष्ट्या मामला है तो छुट्टी यात्रा रियायत के लिए दावा को रोक दिया जाए और कर्मचारी को और आगे इस सुविधा को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इस कार्यवाही का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ जाता।

(iii) अगर कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत के दुरूप्रयोग के आरोपों से पूर्णतया दोषमुक्त किया जाता है तो उसे भविष्य के ब्लॉक वर्षों में छुट्टी यात्रा रियायत के अतिरिक्त सेट के रूप में रोकी गई पहले की छुट्टी यात्रा रियायत को प्राप्त करने की अनुमति होगी लेकिन यह उनके सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले होनी चाहिए।

(iv) अगर कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत के दुरूप्रयोग के आरोपों से पूर्णतया दोषमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित होने के दौरान पहले से ही रोकी गई छुट्टी यात्रा रियायत के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के अगले दो सेटों केलि भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर दुरूप्रयोग की प्रकृति गंभीर होती है तो स़क्षम प्राधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत के दो सेटों से ज्यादा के लिए भी इनकार कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के उद्देश्य केलिए होम टाउन तक की छुट्टी यात्रा रियायत और भारत में किसी भी जगह केलिए छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत को दो सेट के रूप में माना जाएगा।

16 छुट्टी की प्रकृति : (1) रियायत, नियमित छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी, उनके कालावधि की विशेष आकस्मिक छुट्टी या अवकाश के दौरान कर्मचारी द्वारा निष्पादित यात्राओं केलिए स्वकीर्य होगा। यह रियायत प्रसूति छुट्टी के दौरान एवं सेवनिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के लिए प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि छुट्टी खत्म होने से पूर्व वापसी यात्रा पूरा किया जाता है। यह रियायत कर्मचारी को, अध्ययन छुट्टी के दौरान भी स्वीकार्य होगा लेकिन उसके दावें को निम्नानुसार विनियमित किए जाने हैं :–

(ए) स्वयं हेतु :– एक कर्मचारी अध्ययन छुट्टी की जगह से भारत में किसी भी जगह /होम टाउन केलिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि यात्रा–भाडा की प्रतिपूर्ति उसके मुख्यालय स्टेशन और भारत के किसी भी जगह /होम टाउन तक के बीच की यात्रा केलिए होने वाले स्वीकार्य यात्रा–भाडा तक, जो भी कम हो, सीमित होना चाहिए ।

(ख) परिवार के सदस्यों केलिए :– जब परिवार के सदस्य, कर्मचारी के साथ, उसकी अध्ययन छुट्टी की जगह पर रहते हैं, तो उपरोक्त (ए) में अंकितानुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। जब अध्ययन छुट्टी की जगह पर नहीं रहते हैं तो छुट्टी यात्रा रियायत योजना की सामान्य शर्तों एवं उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

टिप्पणी : रियायत, कर्मचारी जो छुट्टी पर चले जाते हैं लेकिन ड्यूटी पर वापस लौटें बगैर अपने पद से स्तीफा दे देते हैं, को स्वीकार्य नहीं होगी।

(2) सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के दौरान दो वर्ष के ब्लॉक में होम टाउन और चार वर्ष में एक बार भारत के किसी भी जगह जाने–आने की यात्रा केलिए रियायत प्राप्त किए जाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी समाप्त होने से पूर्व पूरा किया जाता है।

(3) एक कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या दोनो को उसके होम टाउन में ठहरने की वास्तविक अवधि के ख्याल किए बगैर रियायत प्राप्त करने केलिए हकदार होगें।

17 सहायता का रिकार्ड : इस विनियमों के तहत प्रदार की गई सारी सहायतों का रिकार्ड पर्याप्त रूप से रखरखाव किया जाएगा। रिकार्ड को सर्विस पुस्तिका में प्रविष्टि करते हए्ु या अन्य उपयुक्त रिकार्ड में होम टाउन के लिए यात्रा शुरू किए जाने की तारीख/यात्राओं की तारीखों को अंकित करते हुए रिकार्ड किया जाना है। सर्विस रिकार्ड के रखरखाव केलिए जम्मेदार प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी द्वारा हरेक अवसर पर ली जा रही छुट्टी यात्रा रियायत को उपयुक्त अनुप्रमाणन के अधीन सर्विस रिकार्डों में तथ्य को रिकार्ड किया गया है ।

18 नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र – प्रमाणित है :

(i) कि श्री/श्रीमती/कुमारी (कर्मचारी का नाम).. ने आगे की यात्रा शुरू करने की तारीख को एक वर्ष या ज्यादा केलिए लगतार सर्विस की हुई है।

(ii) कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ की गई हैं।

(हस्ताक्षर एवं नियंत्रण अधिकारी का पदनाम)

19 कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण–पत्र – प्रमाणित है :

(i) मैंने , वर्ष 19............. के ब्लॉक के मामले में अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत केलिए अब तक किसी अन्य प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(ii) मैंने , अपने लिए/अपनी पत्नी सहित .... बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत केलिए यात्रा भत्ता पहले से ही निकासी कर ली है। यह दावा मेरी पत्नी/स्वयं सहित..................... बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में है और किसी ने भी पहले के अवसरों पर पार्टि के साथ यात्रा नहीं किया हुआ है।

(iii) मैंने , 19 .... और 19 .... के दो/चार वर्षों के ब्लॉक के मामले में स्वयं/मेरी पत्नी सहित .... बच्चा/बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत केलिए यात्रा भत्ता पहले से ही निकासी नहीं की है। यह दावा, मेरी पत्नी/स्वयं सहित .... बच्चा/बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में है जिसके लिए उस ब्लॉक से संबंधी रियायत प्राप्त नहीं किया गया है।

(iv) मैंने पहले से ही, 19 .... और 19 .... के दो/चार वर्षों के ब्लॉक के मामले में स्वयं/मेरी पत्नी सहित .... बच्चा/बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत केलिए यात्रा भत्ता पहले से ही निकासी कर ली है। यह दावा, मेरी पत्नी/स्वयं सहित .... बच्चा/बच्चों द्वारा निष्पादित यात्रा के मामले में है। यह निर्धारित ब्लॉक में, हरेक वर्ष केलिए होम टाउन जाने हेतु स्वीकार्य रियायत के विरूद्ध है क्योंकि मेरे परिवार के सारे सदस्य मेरे कार्य स्थल से दूर रह रहे हैं।

(v) यह यात्रा मेरे/मेरी पत्नी सहित .... बच्चा/बच्चों द्वारा घोषित किए गए होम टाउन , अर्थात् .... तक निष्पादित किया गया है।

(vi) कि मेरे पति/मेरी पत्नी बोर्ड की सर्विस में नियोजित नहीं हैं / कि मेरे पति/मेरी पत्नी बोर्ड की सर्विस में नियोजित हैं ओर दो वर्ष/चार वर्षों के संबंधित ब्लॉक केलिए अपनेलिए या परिवार के किसी भी सदस्यों द्वारा अलग अलग तौर पर रियायत प्राप्त नहीं किया गया।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

20 अनिवार्य प्रमाण : (1) कर्मचारी को लिखित रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किए जाने वाले केलिए, यात्रा से पहले सूचना देनी होगी जिसके लिए इस विनियमों के तहत सहायता के लिए दावा किया जा रहा है। उन्हें अपने द्वारा किए गए यात्रा का वास्तविक निष्पादन के प्रमाण को भी प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि रेल्वे टिकट, नकद रिसिप्ट ..... आदि का क्रम संख्या ।

(2) नकद रिसिप्ट की अनुपस्थिति में, दावा के यर्थाथ के संबंध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की संतुष्टि के संबंध में, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कर्मचारी द्वारा दावा किए जाने के पक्ष में प्रस्तुत वास्तविक प्रमाणों का सत्यापन करते हुए, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष किसी कारण से कर्मचारी द्वारा दावा किए जाने के पक्ष में प्रस्तुत वास्तविक प्रमाणों के यथार्थता पर शंका होती है तो वे कर्मचारी से ऐसा अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने को कह सकते हैं जो कि उसके दावा का आवश्यक रूप से पुख्ता करता हो। अगर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अब भी दावा के यथार्थता पर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके दावे को अस्वीकार करने का विकल्प उनके पास है।

(3) एक कर्मचारी को यह प्रमाण करना होगा कि उसने उसके हकदार की श्रेणी/सवारी के माध्यम से यात्रा निष्पादित किया है, जिसके लिए दावा

किया जा रहा है। अगर उसके प्रमाण को किसी भी मामले में झूठा पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। किए गए दावे की यथार्थता के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने हेतु अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा आवश्यक पडने पर कभी भी पूरी जांच की जा सकती है।

(4) छोटी प्रकृति में शिथिलन , अर्थात् कर्मचार द्वारा या उनके परिवार द्वारा या उसके परिवार या दोनो द्वारा क्रम संख्या प्रस्तुत नहीं करना, यात्रा की शुरूआत करने से पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पर्वू सूचना देने में चूक होना।

(5) जब कभी भी सबसे छोटे मार्ग से निष्पादित किए जाने वाले यात्रा में दुर्घटना या अन्य कारणों की वजह से रूकावट हो जाती है तो, वास्तविक रूप से किए गए यात्रा केलिए प्रतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति अध्यक्ष प्रयोग कर सकते है।

21 व्याख्या : कर्मचारी को या उनके व्याख्या को, इस विनियमों की स्वीकार्यता के संबंध में उठने वाले सभी प्रकार की शंकाओं केलिए मामले पर निर्णय लेने हेतु केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाए।
(सा0का0नि0 – 232 (असाध0) दिनांकित : 16.3.1979)